



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2263]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2017/श्रावण 20, 1939

No. 2263]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2017/SRAVANA 20, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

का.आ. 2582(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 4 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1003 (अ) तारीख 5 मई, 2011 तथा का.आ. 1908 (अ) तारीख 17 अगस्त, 2011 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बैठक के सामान्य स्थानों तथा राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट करती है:-

सारणी

क्रम सं.	जोन	बैठक का स्थान	राज्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उत्तरी	दिल्ली (प्रधान स्थान)	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गोवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली।
2	पश्चिमी	पुणे	महाराष्ट्र और गुजरात।
3	मध्य	भोपाल	मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़
4	दक्षिणी	चेन्नै	केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी एवं लक्षदीप

5	पूर्वी	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
---	--------	---------	---

[फा. सं. 17 (4)/2010-पीएल/एनजीटी (खण्ड IV)]

अरुण कुमार मेहता, अपर सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2017

**S.O. 2582(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010) and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S. O. 1003(E), dated the 5th May, 2011 and number S.O. 1908(F), dated the 17th August, 2011, except as respected things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the ordinary places of sitting and the territorial jurisdiction of the National Green Tribunal as under:—

**TABLE**

Sl. No.	Zone	Place of sitting	Territorial jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Northern	Delhi (Principal place)	Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Goa, National Capital Territory of Delhi and Union territories of Chandigarh, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
2.	Western	Pune	Maharashtra and Gujarat.
3.	Central	Bhopal	Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh.
4.	Southern	Chennai	Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Union territories of Puducherry and Lakshadweep.
5.	Eastern	Kolkata	West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand, Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim and Union territory of Andaman and Nicobar Islands.

[F. No. 17(4)/2010-PL/NGT(Vol.IV)]

ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.